न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिक्री 153/2016
पंजीयन दिनांक 09.06.2016

(1). हरलाल पिता नाथू जाति बंजारा निवासी बंजारों के झोपड़े लुहारिया के पास तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
(2). तेजू पिता नाथू जाति बंजारा निवासी बंजारों के झोपड़े लुहारिया के पास तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
(3). मदनलाल पिता मांगीलाल जाति बंजारा निवासी बंजारों के झोपड़े लुहारिया के पास तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
(4). केसर पत्नी जगदीश जाति बंजारा निवासी बंजारों के झोपड़े लुहारिया के पास तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). गणेशलाल पिता भोजा जाति गूर्जर निवासी लुहारिया की झोपडिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
(2). गिरधारी पिता केला जाति गूर्जर निवासी लुहारिया की झोपडिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ
प्रकरण संख्या 71/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2016

उपस्थित वक्त बहस–(1). चन्दनमल जणवा–अधिवक्ता अपीलांट
(2). पंकज टेलर – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

निर्णय **दिनांक 16.11.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 92ए के अन्तर्गत इस आशय

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

का प्रस्तुत किया कि मौजा लुहारिया तहसील बेगूँ की कृषि आराजी संख्या 614/71 रकबा 0.4860 हैक्टेयर स्थित है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के उत्तरी दिशा मे प्रतिवादीगण अपीलांट्गण की खातेदारी की कृषि आराजीयात स्थित है। वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण की उक्त आराजीयात को प्रतिवादीगण अपीलांटगण जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है। अन्त मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे दखलंदाजी प्रतिवादीगण अपीलांट्गण न तो स्वयं करे और न किसी दीगर व्यक्ति से करावें, उक्त आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण अपीलांटगण को पाबंद किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण अपीलांटगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 13.05.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प ईटावा मे रखी जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलांट्गण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के संबंध मे स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जिस पर अपीलांटगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर चाहा। इस प्रकार पत्रावली वास्ते जवाबदावा नियत थी जिसके लिए आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.05.2016 नियत थी । अपरिपक्व पत्रावली को नियत तारीख पेशी से पूर्व ही अपीलांट्गण प्रतिवादीगण को बिना सूचित किए लोक अदालत कैम्प कोर्ट ईटावा मे रखा जाकर उभय पक्षकारान के मध्य बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादपत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रकिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण अपीलांट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 13.05.2016 का लोक अदालत के तहत वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण की ओर से उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के संबंध मे स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जिस पर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर चाहा। इस प्रकार पत्रावली वास्ते जवाबदावा नियत थी जिसके लिए आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.05.2016 नियत थी । अपरिपक्व पत्रावली को नियत तारीख पेशी से पूर्व ही अपीलांट्गण प्रतिवादीगण को बिना सूचित किए लोक अदालत कैम्प कोर्ट ईटावा मे रखा जाकर उभय पक्षकारान के मध्य बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रकिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ प्रकरण संख्या 71/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्गण प्रतिवादीगण को

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जवाबदावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 19.12.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)